<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 969 / 14</u> संस्थापन दिनांकः — 15 / 12 / 14 फाईलिंग नं. 233504003202014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... <u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. संतोष पिता रेकचंद पटवार, उम्र 36 वर्ष
- 2. रेकचंद पिता मायाराम पटवारी, उम्र 56 वर्ष
- देवकीबाई पति रेकचंद पटवारी, उम्र ४८ वर्ष तीनों निवासी नाहिया, थाना आमला जिला बैतूल (म.प्र.)
- 4. श्रवण पिता दयाराम टिकारे, उम्र 45 वर्ष
- किरण पति श्रवण टिकारे, उम्र 30 वर्ष
 क. 4 एवं 5 निवासी वार्ड क. 7 आमला,
 थाना आमला, जिला बैतुल (म.प्र.)

.....<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 07.05.2018 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 11.11.2014 को समय रात्रि 08:00 बजे ग्राम नाहिया स्थित अपने घार में थाना आमला जिला बैतूल अंतर्गत अभियोक्त्रि को दहेज में तीन लाख रूपये, सोना चांदी के जेवरात और मारोती कार की मांग कर कूरता कारित की तथा अभियोक्त्रि से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीन लाख रूपये की मांग की।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी ज्योति ने दिनांक 12.11.2014 को थाना आमला आकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसका विवाह अभियुक्त संतोष से करीब सात वर्ष पहले हिंदू रीति रिवाज से हुआ था। विवाह में उसके पिता ने अपनी सामर्थ के हिसाब से दहेज दिया था। विवाह पश्चात उसे दो बच्चे हुए। विवाह के पश्चात से ही अभियुक्तगण उसे दहेज में तीन लाख रूपये नगदी, सोने चांदी के जेवरात, मारूती कार के लिए उसे शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। उक्त बात उसने अपने मायके वालों को भी बतायी थी। दिनांक 11 11 2014 को दहेज की मांग को लेकर ही

अभियुक्तगण ने उसके साथ हाथ मुक्के से मारपीट की जिससे उसे दांहिने पैर में मूंदी चोट आयी और अभियुक्तगण ने उसे घर से भगा दिया।

- 3 फरियादी द्वारा दर्ज करवायी गयी रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 953 / 14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। फरियादी से विवाह पत्रिका, विवाह के फोटो एवं दहेज सूची जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को न्यायालय में उपस्थिति बाबत सूचना पत्र जारी किये गये। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4 प्रकरण में फरियादी एवं अभियुक्तगण की ओर से राजीनामा आवेदन भी प्रस्तुत किया गया है परंतु अभियुक्तगण के विरूद्ध लगे धारा 498(ए) भा0दं0सं0 एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 4 के आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।
- 5 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा अभिलेख पर अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य उपलब्ध न होने से अभियुक्तगण का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्तगण ने फरियादी ज्योति के साथ दहेज में तीन लाख रूपये, सोना चांदी के जेवरात और मारोती कार की मांग कर क्रूरता कारित की तथा दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीन लाख रूपये की मांग की ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

7 ज्योति (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि अभियुक्त संतोष उसका पित, अभियुक्त किरण नंनद, देवकीबाई सास, रेकचंद्र ससुर एवं सरवन नंदोई है। उसकी शादी वर्ष 2008 में अभियुक्त संतोष से जाति रीति रिवाज से हुई थी। शादी के कुछ महिनों पश्चात उसका अभियुक्तगण से घरेलू बात को लेकर विवाद हो गया था। वाद विवाद में गिरने से उसे चोट आ गयी थी जिससे गुस्से में आकर उसने अभियुक्तगण के विरुद्ध (प्रदर्श पी—1) की रिपोर्ट लिखवायी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि पुलिस ने उसका ईलाज करवाया था तथा उससे

शादी की पत्रिका, फोटोग्राफ, दहेज सूची जप्त कर (प्रदर्श पी—2) का जप्ती पत्रक तैयार किया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि अभियुक्तगण ने विवाह के पश्चात उसे कभी भी दहेज की मांग एवं रूपयों की मांग को लेकर मानसिक एवं शारीरिक रूप से कभी प्रताड़ित नहीं किया और न ही उसके साथ मारपीट की थी।

- 8 साक्षी ज्योति (अ.सा.—1) द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने शादी के करीब डेढ़ वर्ष तक उसे ठीक से रखा उसके बाद अभियुक्तगण उससे दहेज की मांग करने लगे एवं मारपीट करने लगे थे एवं उसे विवाह में कम दहेज लाने की बात पर से ताने मारते थे। साक्षी ने इस बात को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण उससे तीन लाख रूपये एवं सोने चांदी के जेवरात तथा मारूती कार की मांग करते थे तथा दिनांक 09.11.2014 को अभियुक्तगण ने उसे घर से निकाल दिया था।
- 9 इसके अतिरिक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण से उसका घरेलू बात को लेकर वाद विवाद हो गया था जिसकी शिकायत उसने थाना आमला में की थी तथा वाद विवाद में धक्का लगने से गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण विवाह के करीब डेढ़ वर्ष बाद से अभियुक्तगण उससे दहेज की मांग करते थे, दहेज कम लाने की बात पर ताना देते थे तथा उससे तीन लाख रूपये, सोने चांदी के जेवरात एवं मारूती कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट करते थे और उक्त मांग को लेकर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। स्वतः में साक्षी ने प्रकट किया है कि मामूली विवाद हुआ था जिसकी रिपोर्ट उसने की थी।
- 10 साक्षी ने अभियुक्तगण द्वारा उससे दहेज में सोने चांदी के जेवरात, तीन लाख रूपये नगदी एवं मारूती कार की मांग की जाना तथा उक्त मांग को लेकर उसके साथ शारीरिक एवं मानसिक रूप से कूरता कारित किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्तगण द्वारा फरियादी के साथ दहेज में तीन लाख रूपये, सोना चांदी के जेवरात और मारोती कार की मांग कर कूरता कारित की तथा अभियोक्ति से दहेज में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तीन लाख रूपये की मांग की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण संतोष, रेकचंद, देवकीबाई, श्रवण एवं किरण को धारा 498—ए भाठदं०सं० एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनयम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- 11 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437—ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।
- 12 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)